कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 985 / FP/UK/ROAD/149396/2021 :देहरादूनः दिनांकः 13 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल में देवियोखाल–डाबरीसैंण–डाबरीपल्ली–मुगयाखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.989 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/145/2021/एफ.सी./128 दिनांक 27.04.2022।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विशयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विशयांकित प्रकरण में कतिपय भार्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–817/12–1 दिनांक 27.09.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

शर्त सं0	शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0 2756/ 21सी दिनॉक 27.08.2022 से अवगत कराया गया है कि अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0 2756/ 21सी दिनॉक 27.08.2022 से अवगत कराया गया है कि अधिरोपित की गई शर्त के अनुपालन में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त की जानें वाली गैर वन भूमि (नाप भूमि) के मालिकाना हक वाले समस्त ग्रामवासियों द्वारा पूर्व ही अपनी भूमि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु विभाग को सौंपे जाने की लिखित सहमति /अनापत्ति दी गई है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1978 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्शो तक रखरखाव हेतु आव यक धनराशि @ CA rate for 1.978 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0 2756/ 21सी दिनॉक 27.08.2022 एवं 3085/21 सी दिनांक 26.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1978 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्शो तक रखरखाव हेतु आव यक धनराशि @ CA rate for 1.978 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 6,72,304.00 की धनराशि कैम्पा मद में दिनांक 25.7.2022 को चालान द्वारा जमा की गई है तथा अवशेष धनराशि रू0 1,34,704.00 को कैम्पा फण्ड में जमा किये जाने हेतु चालान जनरेट कर दिनांक 26.09.2022 को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजपुर रोड देहरादून में जमा करा दी गई है।**(संलग्नक–1,2)**

Rohit PD Backup

3	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र–3–3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं। **(संलग्नक–2)**
	ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आव यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग के संरेखण के अन्तर्गत वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल पूर्व ही पोर्टल में अपलोड है। प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि सभी आवश्यक विवरणों की सूचना ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्शो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविश्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत का आंकलन की धनराशि जमा की जायेगी। संलग्न प्रमाण पत्र **(संलग्नक–3)**
5	शुद्व वर्तमान मूल्य क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003., 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एस0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 – एस0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 – एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.989 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए भुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003., 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एस0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 – एस0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 – एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार 0.989 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य रू0–12,78,629.00 कैम्पा मद में दि0 25.07.2022 को जमा किये गये हैं। (संलग्नक–1 के अनुसार)
	ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद, देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 36 वृक्ष एवं 11 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि अधिरोपित की गई भार्त का पूर्णतः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/ जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन ई–पोर्टल (parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा की गई है
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से

Rohit PD Backup

	वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग ने अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिश्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनाव यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग ने अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तावक विभाग ने अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:// parivesh-nic-in) पर अपलोड की गई है।

अतः वन सरंक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्या– 985 **/ FP/UK/ROAD/149396/2021 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–817/12–1 दिनांक 27.09.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक।